न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरी	तारीख फैसला
37/2022	01.08.2022	

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1 बाबूलाल नागर पुत्र श्री मोडूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1– बनवारी लाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी दीगोद जिला कोटा राजस्थान।
2– सहायक अभियंता सी0ए0डी0 दीगोद जिला कोटा राजस्थान।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल0आर0एक्ट

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी ख0नं0 3164 रकबा 0.33 हे० भूमि के समीप गैर मु० ड्रेन ख0नं0 3161 ग्राम दीगोद पटवार हल्का दीगोद में स्थित है उक्त ख0नं0 3161 गे0मु० ड्रेन के दोनो तरफ रास्ता बना हुआ है।

2– यह कि अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा ख0नं0 3161 गे० मु० ड्रेन के स्वरूप को मिटाकर टेढा कर दिया है तथा रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है प्रार्थी की आराजी ख0नं0 3164 के रास्ते पर ड्रेन को निकालकर रास्ता खत्म कर प्रार्थी की आराजी में रास्ते को मिला दिया है जबकि प्रार्थी के द्वारा सीमाज्ञान करवा दिया, लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 अतिक्रमण को नही रोक रहा है।

3– यह कि अप्रार्थी प्रतिबन्धित नियमों के अन्तर्गत ड्रेन का स्वरूप नहीं मिटा सकता तथा भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, अप्रार्थी के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है जिसे रोका जाना आवश्यक है।

4– यह कि अप्रार्थी क्रम 2 को स्वयं के अधिकारों की गे०मु० ड्रेन से सम्बन्धित होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी क्रम 2 के द्वारा ड्रेन के दोनो तरफ से अतिक्रमण हटवाने हेतु पक्षकार बनाया गया है।

5– यह कि अप्रार्थी क्रम 2 गे०मु० ड्रेन की देखभाल कर ड्रेन पर बने रास्ते के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपनाने हेतु मौके पर उपस्थित होकर ड्रेन के स्वरूप को सही करवाये जाने हेतु अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए बाध्य होने से उपस्थित होना आवश्यक है।

6— यह कि अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा प्रार्थी से राजीनामा करने के बाद भी ड्रेन की तरफ रास्ता व खिडकी दरवाजा निकाल लिया है उक्त आराजी कृषि भूमि है तथा गै० मु० ड्रेन में दर्ज है जिसके स्वरूप में परिवर्तन करने से रोका जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आराजी खसरा नं0 3161 का सीमाज्ञान किया जाकर रास्ते से अतिक्रमण हटाये जाने एवं अतिक्रमी द्वारा ड्रेन के स्वरूप के बदलाव को पूर्व स्थिति में कायम की जावे एवं टेढी की गयी ड्रेन का सीधा करवायी जाकर दोनो तरफ रास्ता को खुलासा करवाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1— नकल जमा0 ग्राम दीगोद खा0 सं0 नया 386 सम्वत 2071—74
2— नकल नक्शा 3164
3— नकल सीमाज्ञान दिनांक 10.02.2022
4— नकल राजीनामा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षीगण 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थना पत्र को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराया गया। प्रतिपक्षी न0 2 के जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रतिपक्षी न0 2 के द्वारा पूर्व में भी 2 बार प्रार्थी कि शिकायत के क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा चुकी है किन्तु अप्रार्थी द्वारा बार— बार अतिक्रमण कर लिया जाता है। अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा अपने जवाब से स्पष्ट किया गया है कि गैर मुमकिन ड्रेन के दोनों तरफ बने रास्ते में एक रास्ता प्रार्थी की भूमि की तरफ है जो मौके पर मौजूद नहीं है तथा दूसरी तरफ के रास्ते पर अतिक्रमण हो रहा है जिस पर पक्के मकान व बाडे बने हुए है।

प्रकरण मे उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दीगोद तथा सहायक अभियंता दांई नहर उपखण्ड सी0ए0डी0 दीगोद के जवाब व अन्य दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दीगोद को प्रार्थी की भूमि ग्राम दीगोद की ख0न0 3164 रकबा 0.33 है0 भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ख0न0 3161 गै0 मु0 ड्रेन के दोनो तरफ स्थित रोड के अतिक्रमण को राजस्व नक्शे अनुसार कायम किये जाने व अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व व सी0ए0डी0 विभाग की संयुक्त टीम बनाकर पृथक से कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद